

दूल बाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)



पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सेनी R.A.S.

तारामणी आदि

उत्तवार

बनाम राज. सरकाट

आका बाबत नाम डकस्ती 0/5 88 R.T.A.

दुकदना नम्बर :- 104/2021

निर्णय दिनांक :- 18/11/2021

वादी की ओर से स्वयं को व प्रतिवादी की ओर से श्री गणेश राज की उपस्थिति में इस बात में आज तारीख 18/11/2021 को श्री राहुल सेनी R.A.S. (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -- दावा वादीगण

स्वीकार किया जायत कृषि भूमि खाता सं. 102 रोही ग्राम छाजू में अकिर खातेदार नारायणी, मनोज कुमार, लाली, शोकराम, सिजकोरी के स्थान पर तारामणी, नन्दकिशोर ललिता, अशोक कुमार, सिणगारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तबसीलवार हेतु उक्तानुसार राजस्व रिवाज में अमल डामड करे। उक्त नाम डकस्ती के सम्बन्ध में भविष्य में कोई विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादीगण की रहेगी।

खर्चा पक्ष कारण के अनुसार अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

दि गई:

18/11/21

(राहुल सेनी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

दान के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	फ्लोडर की फीस
4. ... समये पर फ्लोडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह कर
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-कर	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



ना.न. 544  
24-11-21